

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1991
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए राज्यों को दी गई सहायता

1991 # श्री आदित्य प्रसाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को विशेष सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का झारखंड सहित, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क से घ):

(i) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। नक्सलवाद के समाधान हेतु सरकार ने उसके मुख्य कारण के निदान के लिए आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से निजी निवेश में वृद्धि सहित उन्नत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं. 1991, दिनांक 17.12.2025

(ii) सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति देकर, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविरों के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि करके सहायता प्रदान करती है।

- 2020-21 से, राज्यों की क्षमता निर्माण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बलों के परिचालन व्यय एवं राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/ शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए लगभग 1,643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को सुदृढ़ बनाने और विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण हेतु 1757 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत संपूरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों का निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढाँचे के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।
- सुरक्षा संबंधी अवसंरचना पर भारत सरकार का अत्यधिक ध्यान रहा है। पिछले दशक में 656 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले छह वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1991, दिनांक 17.12.2025

(iii) विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं, अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 8,301 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 6,775 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 05 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 95 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) संचालित किए गए हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4,262 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 719 बैंक शाखाएं और 204 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजना के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए धनराशि प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग कुल 1,576 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(iv) "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक नियंत्रित हुआ है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 89% घटकर वर्ष 2025 में 222 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1991, दिनांक 17.12.2025

1005 के उच्च स्तर से 91% घटकर वर्ष 2025 में 95 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 तथा अक्टूबर 2025 में घटकर 11 हो गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं।

(v) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई राज्य-वार सहायता, झारखण्ड सहित, का ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना

(Rs. in crores)

S.No.	STATES	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	ANDHRA PRADESH	8.96	10.39	14.23	9.64	17.11
2	BIHAR	14.23	11.71	14.15	13.11	8.69
3	CHHATTISGARH	140.61	136.82	133.35	176.89	190.55
4	JHARKHAND	77.11	84.45	60.95	102.24	55.27
5	KERALA	-	-	-	0.18	0.35
6	MADHYA PRADESH	0.83	5.08	4.97	6.96	5.16
7	MAHARASHTRA	32.25	10.01	15.15	37	10.74
8	ODISHA	14.1	38.48	49.4	42.8	29.07
9	TELANGANA	9.44	5.6	11.17	4.66	6.04
10	UTTAR PRADESH	3.22	0.73	1.51	-	-
11	WEST BENGAL	3.73	3.69	2.07	6.52	2.02
	Total	304.49	306.95	306.95	400	325

विशेष केंद्रीय सहायता योजना (एससीए)

(Rs. in crores)

S.No.	State	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	Andhra Pradesh	14.25	20	10.25	7.5	-
2	Bihar	80	60	18.38	7.5	-
3	Chhattisgarh	114	140	82.08	61.71	230.56
4	Jharkhand	199	160	54.23	52.01	27.47
5	Maharashtra	0	7.5	9.05	7.8	15
6	Odisha	28.5	60	20.76	3.11	1.94
7	Telangana	14.25	20	10.25	7.5	-
8	Kerala	--	--	2.5	-	-
9	Madhya Pradesh	--	20	2.5	7.11	-
	Total	450	487.5	210	154.24	274.97

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस)

(Rs. in crores)

S.No.	State	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
1	ANDHRA PRADESH	0	0	7.61	7.07	0	0	14.68
2	BIHAR	0	12.35	22.01	1.82	0	0	36.18
3	CHHATTISGARH	0	0	41.49	20.3	0	0	61.79
4	JHARKHAND	0	8.39	42.59	12.79	0	0	63.77
5	MAHARASHTRA	0	0	18.44	5.53	0	11.94	35.91
6	ODISHA	0	9.87	23.55	10.28	0	0	43.7
7	TELANGANA	0	1.61	26.07	3.61	4.16	0	35.45
8	MADHYA PRADESH	0	0	6.34	0.32	0	0	6.66
9	KERALA	0	0	1.52	2.08	0.33	0	3.93
10	UTTAR PRADESH	0	0	0.38	1.47	0	0	1.85
	Total	0	32.22	190	65.27	4.49	11.94	303.92
